प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.10.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा कुकर्म के अभियोग में वांछित 15000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा अभियुक्त समरपाल प्रजापति उम्र करीब 62 वर्ष द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को अपने कमरे ले जाकर उसके साथ गलत काम करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 15000/- रुपये का इनामी अभियुक्त समरपाल पुत्र मंगू सिंह निवासी ग्राम जट्ट बहादुरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल निवासी विकास कुंज नहर के किनारे थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष को थाना क्षेत्र कोतवाली देहात जनपद बिजनौर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने बर्तन बनाने वाले स्थान पर बर्तन बना रहा था तभी वादी का नाबालिग पुत्र मेरे पास खेलने के लिए आया था। मैं उसे 20/- रुपये का लालच देकर कमरे में ले गया और मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

समरपाल पुत्र मंगू सिंह निवासी ग्राम जट्ट बहादुरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल निवासी विकास कुंज नहर के किनारे थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता पीडिता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस द्वारा अपहर्ता पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता का उक्त अभियोग में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की

कार्यवाही की गयी। धारा 180 BNSS के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 30.10.2024 को थाना लोनी पुलिस द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिब पुत्र इकराम निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी लोनी कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्त नें पूछताछ के दौरान बताया कि मैनें अपने पडोस की रहने वाली पीडिता से दोस्ती थी जिसे मैं दिनांक 15.10.2024 को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

साहिब पुत्र इकराम निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि उसके सौतेले पिता द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करना व छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अभिषेक उम्र करीब 35 वर्ष को माया फार्म हाउस के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरी पहली पत्नी का मुझसे विवाद हो गया था जिसके चलते मैं उससे अलग हो गया तथा उसके बाद मैंने एक दूसरी महिला से शादी कर ली जिसके पूर्व से 2 बच्चे है। मेरी दूसरी पत्नी की लडकी के द्वारा घरेलू बातों को लेकर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मम्मी के घर जाकर मेरी मम्मी को उलटा सीधा कहा गया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे द्वारा भी अपनी दूसरी पत्नी के घर जाकर लड़की के साथ गाली गलौच कर दी तथा उसे धक्का दे दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

अभिषेक पुत्र रामशंकर पांण्डेय निवासी थाना क्षेत्र क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखे बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरी 25 प्लास्टिक की बोरी व 05 कार्टन (कीमत लगभग 2.5 लाख रु0) बरामद।

दिनांक 29.10.2024 को ट्रान्स हिण्डन जोन स्वॉट टीम व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फरुर्खनगर स्थित पेरिस फार्म हाउस के सामने 02 व्यक्ति 1. इमरान पुत्र अयूब निवासी मक्का मस्जिद के पास असालतपुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 2. जुबैर पुत्र समैदीन निवासी मक्का मस्जिद के पास असालतपुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरी 25 प्लास्टिक की बोरी व 05 कार्टन (कीमत लगभग 2.5 लाख रु0) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान पुत्र अयूब व जुबैर पुत्र समैदीन उपरोक्त हरियाणा से कम रेट पर पटाखों को खरीदकर लाते है तथा फरुर्खनगर लाकर फूटकर में उचित पैसों पर बेचकर अधिक से अधिक पैसे कमाते है तथा उन्हीं पैसों से अपने परिवार को पालन पोषण करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. इमरान पुत्र अयूब निवासी मक्का मस्जिद के पास असालतपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. जुबैर पुत्र समैदीन निवासी मक्का मस्जिद के पास असालतपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरी 25 प्लास्टिक की बोरी व 05 कार्टन (कीमत लगभग 2.5 लाख रु0) बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।